National Research Journal of Social Sciences
A Bi-annual Refereed Journal
PP: 114-125
Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

महिला आरक्षण के बाद राजनीतिक सशक्तिकरण के वास्तविक आयाम: बेगूसराय जिले का क्षेत्रीय अध्ययन

डॉ पंकज कुमार

प्रधानाध्यापक, उच्यत्तर माध्यमिक विद्यालय, भर्रा, बेगूसराय

सारांश

यह शोध-पत्र बेगूसराय जिले के संदर्भ में महिला आरक्षण के बाद महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के "वास्तविक आयामों" का क्षेत्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का केन्द्रीय तर्क यह है कि आरक्षण से प्रतिनिधित्व बढ़ता है, पर सशक्तिकरण तभी "वास्तविक" बनता है जब निर्वाचित महिला प्रतिनिधि और सामान्य महिलाएँ निर्णय-प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी, सार्वजनिक संसाधनों पर निगरानी, संस्थागत संवाद, तथा सामुदायिक प्राथमिकताओं के निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। अध्ययन संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए महिलाओं के न्यूनतम आरक्षण प्रावधान, बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 में लगभग 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था, तथा नीति-प्रयोग आधारित शोध-साक्ष्य को आधार बनाता है। बेगूसराय के लिए निर्वाचन-आधारित भागीदारी संकेतकों और जिला-प्रोफाइल संकेतकों का उपयोग करके यह दिखाया गया है कि जिले के भीतर क्षेत्रीय विविधता और सामाजिक-संसाधन असमानता सशक्तिकरण के वास्तविक रूपों को प्रभावित करती है। जहाँ व्यक्ति-स्तरीय प्राथमिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ विश्लेषण को "क्रियान्वयन-योग्य" ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है और किसी भी कारणात्मक गुणांक का दावा नहीं किया गया है। नीति-निहितार्थ बेगूसराय-केंद्रित हैं और वे महिला सभा/ग्राम सभा की अर्थपूर्णता, क्षमता-विकास, पारदर्शिता, तथा संस्थागत सहारा-तंत्र पर केंद्रित हैं।

मुख्य शब्द: महिला आरक्षण; राजनीतिक सशक्तिकरण; पंचायती राज; प्रतिनिधित्व; निर्णय-क्षमता; महिला सभा; ग्राम सभा; क्षेत्रीय विविधता; बेगूसराय

भूमिका

महिला आरक्षण का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि शासन-प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाकर महिलाओं की प्राथमिकताओं और अनुभवों को निर्णय-निर्माण में वास्तविक स्थान देना है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान यह स्थापित करते हैं कि पंचायतों में प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है, और यह व्यवस्था चक्रानुक्रम के माध्यम से अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में लागू की जा सकती है [1]। यह संवैधानिक न्यूनतम आधार "प्रतिनिधित्व" सुनिश्चित करता है, पर इसके बाद का प्रश्न यह होता है कि क्या महिलाएँ निर्णय-प्रक्रिया में वास्तविक शक्ति और स्वायत्तता प्राप्त करती हैं।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 ने महिलाओं के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों के संदर्भ में "जितना संभव हो, पर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं" वाली व्यवस्था के साथ आरक्षण को व्यावहारिक रूप से व्यापक बनाया [2]। इससे बिहार में महिला प्रतिनिधित्व का दायरा संवैधानिक न्यूनतम से आगे बढ़ता है। फिर भी आरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम प्रतिनिधित्व है, जबकि सशक्तिकरण का वास्तविक परिणाम "निर्णय-क्षमता" और "सार्वजनिक नियंत्रण" है। यही कारण है कि इस अध्ययन में सशक्तिकरण के वास्तविक आयामों को परिभाषित किया गया है और बेगूसराय जिले के भीतर क्षेत्रीय विविधताओं के संदर्भ में उनका विश्लेषण किया गया है।

नीति-प्रयोग आधारित शोध साक्ष्य यह बताता है कि महिला नेतृत्व से सार्वजनिक वस्तुओं की प्राथमिकताएँ, निगरानी, और स्थानीय शासन व्यवहार बदल सकते हैं, पर यह परिवर्तन स्वचालित नहीं होता और संस्थागत सहायता तथा सामाजिक बाधाओं पर निर्भर करता है [3], [4]। बेगूसराय जैसे जिले में जहाँ शिक्षा-आधार और सामाजिक संसाधनों में क्षेत्रीय असमानता संभव है, वहाँ "वास्तविक सशक्तिकरण" की व्याख्या क्षेत्रीय स्तर पर करना आवश्यक हो जाता है [5], [6]।

बेगूसराय का क्षेत्रीय संदर्भ

बेगूसराय का क्षेत्रीय संदर्भ समझने के लिए दो प्रकार के संकेतक उपयोगी हैं। पहला, जिला-स्तरीय सामाजिक-शैक्षिक आधार, जो यह बताता है कि महिलाएँ औपचारिक प्रक्रियाओं, दस्तावेज़-प्रक्रिया, और संस्थागत संवाद में कितनी सहज होंगी। दूसरा, भागीदारी-आधारित संकेतक, जो यह दर्शाते हैं कि क्षेत्रीय इकाइयों में नागरिक सहभागिता और चुनावी सहभागिता की गति कैसी है।

बेगूसराय के लिए जिला पोषण प्रोफाइल में "महिलाएँ जिनकी शिक्षा 10 या अधिक वर्ष" का संकेतक 2020 के आसपास 21 प्रतिशत दिया गया है, जबकि बिहार के लिए 34 प्रतिशत दर्ज है [6]। यह अंतर संकेत देता है कि माध्यमिक स्तर और उससे ऊपर की महिला शिक्षा उपलब्धि के मामले में बेगूसराय का आधार अपेक्षाकृत कमजोर हो सकता है। राजनीतिक सशक्तिकरण के वास्तविक आयामों में शिक्षा का महत्व इस अर्थ में है कि निर्णय-प्रक्रिया, लेखांकन, योजना, और संस्थागत संवाद की लागत शिक्षा और सूचना-साधनों से घटती है [7]।

भागीदारी के स्तर पर, लोकसभा 2019 के संसदीय क्षेत्र-वार मतदान दस्तावेज में बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के लिए मतदाता संख्या, मतदान करने वालों की संख्या और लिंगानुसार मतदान-प्रतिशत उपलब्ध है [8]। यह एक ठोस संकेतक है कि चुनावी भागीदारी का स्तर क्या है। इसके अतिरिक्त, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चरण-2 में 1 बजे तक समय-खंड मतदान-प्रतिशत की आधिकारिक सारणी में बेगूसराय जिले के विधानसभा क्षेत्र 141 से 147 तक के समय-खंड मतदान-प्रतिशत दर्ज हैं, जो जिले के भीतर क्षेत्रीय विविधता का संकेत देता है [9]। यह "अंतिम मतदान-प्रतिशत" नहीं है, पर यह बताता है कि जिले के भीतर सहभागिता की गति एकसमान नहीं है, और स्थानीय सामाजिक-संसाधन तथा प्रेरणा-तंत्र अलग-अलग हो सकते हैं।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

संवैधानिक और विधिक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायत स्तर पर व्यापक हो। अब प्रश्न यह है कि बेगूसराय के अलग-अलग प्रखंडों, पंचायत समूहों और सामाजिक परिवेशों में महिला आरक्षण के बाद सशक्तिकरण के वास्तविक आयाम किस तरह प्रकट होते हैं, और किन जगहों पर यह सशक्तिकरण केवल "औपचारिक" रह जाता है [1], [2]।

साहित्य समीक्षा

महिला आरक्षण और सशक्तिकरण पर शोध का सबसे स्थापित निष्कर्ष यह है कि आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक पदों तक पहुँच देता है, और कई संदर्भों में स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं की प्राथमिकताएँ भी बदलती हैं। नीति-प्रयोग आधारित अध्ययन यह दिखाते हैं कि महिला नेतृत्व से कुछ सार्वजनिक निवेशों की दिशा महिलाओं की प्राथमिकताओं के अनुरूप स्थानांतरित हो सकती है [3]। इसके साथ ही, महिला नेतृत्व के संपर्क से महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणाएँ बदल सकती हैं और लड़कियों की आकांक्षाओं में वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे दीर्घकाल में मानव पूँजी और राजनीतिक सहभागिता के पैटर्न बदलने की संभावना बनती है [4]।

साहित्य यह भी बताता है कि प्रतिनिधित्व बढ़ने के बावजूद "प्रतीकात्मक नेतृत्व" की समस्या बनी रह सकती है, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पद पर तो होती हैं, पर वास्तविक निर्णयों पर अनौपचारिक नियंत्रण दूसरे व्यक्तियों या समूहों का होता है। यह समस्या सामाजिक मानदंड, शिक्षा-आधार, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता से जुड़ सकती है [10], [11]। इसी कारण सशक्तिकरण को केवल "सीट" या "पद" से नहीं, बल्कि निर्णय-स्वायत्तता, बैठक-नेतृत्व, वित्तीय निर्णयों में भागीदारी, तथा शिकायत-निवारण जैसी प्रक्रियाओं में वास्तविक हस्तक्षेप से मापने की आवश्यकता बनती है [7], [12]।

भारतीय संदर्भ में महिला आरक्षण के प्रभावों पर समेकित समीक्षा यह दर्शाती है कि आरक्षण से महिला नेतृत्व बढ़ता है, नीति-प्राथमिकताओं पर प्रभाव पड़ सकता है, और समय के साथ पूर्वाग्रह कम हो सकता है; पर परिणाम क्षेत्र और संस्थागत गुणवत्ता के अनुसार भिन्न होते हैं [11], [12]।

बिहार के संदर्भ में महिला आरक्षण का विस्तार 50 प्रतिशत तक होने से प्रतिनिधित्व का विस्तार तो अधिक है, पर वास्तविक सशक्तिकरण की उपलब्धि जिला-स्तर पर शिक्षा, प्रशासनिक सहायता, और स्थानीय संस्थाओं की कार्य-संस्कृति से प्रभावित होगी [2], [6]। इसलिए बेगूसराय में "वास्तविक आयाम" का क्षेत्रीय अध्ययन केवल सामान्य निष्कर्षों को दोहराने के बजाय, स्थानीय संकेतकों और क्षेत्रीय विविधता के साथ विश्लेषण करने का आग्रह करता है।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

वैचारिक ढांचा: "वास्तविक सशक्तिकरण" के आयाम

इस अध्ययन में "वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण" को पाँच आयामों में परिभाषित किया गया है। पहला आयाम प्रतिनिधित्व है, जो आरक्षण व्यवस्था से सुनिश्चित होता है [1], [2]। दूसरा आयाम निर्णय-स्वायत्तता है, जो यह देखता है कि महिला प्रतिनिधि योजनाओं, लाभार्थी चयन, कार्य-प्राथमिकता और संसाधन-आवंटन में स्वतंत्र निर्णय ले रही हैं या नहीं [10], [12]। तीसरा आयाम प्रक्रिया-नेतृत्व है, जिसमें बैठक बुलाना, कार्यसूची तय करना, कार्यवृत्त की पुष्टि, और सामाजिक अंकेक्षण जैसी प्रक्रियाएँ आती हैं [7], [13]। चौथा आयाम संस्थागत संवाद है, जिसमें प्रखंड/जिला प्रशासन, विभागीय कर्मियों और प्रतिनिधियों से संपर्क, अभिलेख-आधारित कार्यवाही, और शिकायत-निस्तारण शामिल है [13]। पाँचवाँ आयाम सामाजिक प्रभाव है, जिसमें महिलाओं का सार्वजनिक बोलना, समुदाय में भरोसा, और महिला-समूहों के साथ गठजोड़ के माध्यम से सामूहिक एजेंडा-निर्धारण शामिल है [4], [14]।

इस ढांचे में क्षेत्रीय अध्ययन का अर्थ यह है कि इन आयामों के प्रदर्शन में पंचायत-समूहों, प्रखंडों, तथा ग्रामीण-शहरी निकटता वाले क्षेत्रों के अनुसार अंतर अपेक्षित है। बेगूसराय के लिए महिला शिक्षा का 10 या अधिक वर्ष वाला संकेतक कम होना यह संकेत देता है कि संस्थागत संवाद और प्रक्रिया-नेतृत्व के आयामों में "क्षमता-सहारा" की जरूरत अधिक हो सकती है [6], [13]।

डेटा और नमूना-रचना

यह शोध-पत्र मुख्यतः प्रामाणिक द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। संवैधानिक आरक्षण ढांचे के लिए भाग 9 की संबंधित धाराएँ ली गई हैं [1]। बिहार में 50 प्रतिशत तक आरक्षण व्यवस्था के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का प्रासंगिक पाठ आधार है [2]। बेगूसराय के सामाजिक-शैक्षिक आधार के लिए जिला पोषण प्रोफाइल में महिला शिक्षा का संकेतक लिया गया है [6]। भागीदारी संकेतकों के लिए लोकसभा 2019 का संसदीय क्षेत्र-वार मतदान दस्तावेज और बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का तुलनीय मतदान-प्रतिशत दस्तावेज उपयोग में लिया गया है [8], [15]। क्षेत्रीय विविधता के संकेतक के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चरण-2 के 1 बजे समय-खंड मतदान-प्रतिशत की सारणी उपयोग में ली गई है [9]।

व्यक्ति-स्तरीय प्राथमिक आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह अध्ययन "क्रियान्वयन-योग्य" नमूना-रचना भी प्रस्तावित करता है। प्रस्तावित रचना में बेगूसराय को ग्रामीण-शहरी निकटता और प्रखंड समूहों के आधार पर क्षेत्रीय परतों में बाँटकर, प्रत्येक परत में पंचायत-समूहों का चयन और फिर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि तथा महिला नागरिकों का नमूना चयन किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि "प्रतिनिधित्व" और "वास्तविक निर्णय-भागीदारी" के बीच अंतर को मापन योग्य बनाया जा सके [7], [13]।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

चर और मापन

इस अध्ययन में तीन स्तर के मापन प्रस्तावित हैं। पहला स्तर "संस्थागत इनपुट" का है, जिसमें आरक्षण की उपस्थिति और पद-आवंटन की संरचना आती है [1], [2]। दूसरा स्तर "क्षमता-आधार" का है, जिसमें महिला शिक्षा का 10 या अधिक वर्ष वाला संकेतक और क्षेत्रीय सहभागिता की विविधता आती है [6], [9]। तीसरा स्तर "परिणाम" का है, जिसे वास्तविक सशक्तिकरण के पाँच आयामों में सूचकांकों के माध्यम से मापा जा सकता है।

निर्णय-स्वायत्तता के लिए यह देखा जा सकता है कि महिला प्रतिनिधि ने कितनी बार योजना-प्राथमिकता तय करने में पहल की, कितनी बार लाभार्थी सूची पर आपत्ति/सुधार कराया, और कितने मामलों में उसके हस्ताक्षर केवल औपचारिक नहीं बल्कि प्रक्रिया-आधारित निर्णय के साथ जुड़े। प्रक्रिया-नेतृत्व के लिए बैठक-नियमितता, कार्यवृत्त की गुणवत्ता, और सामाजिक अंकेक्षण में सहभागिता देखी जा सकती है। संस्थागत संवाद के लिए प्रखंड कार्यालय में संपर्क, शिकायत-निस्तारण, और अभिलेख-प्रबंधन की नियमितता को मापा जा सकता है [13], [7]। सामाजिक प्रभाव के लिए महिला सभा/ग्राम सभा में महिलाओं की बोलने की भागीदारी, महिला-समूहों की सक्रियता, और समुदाय में महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता जैसे संकेतक उपयोगी होंगे [4], [14]।

तालिका 1: आरक्षण से सशक्तिकरण तक ढांचा और अपेक्षित परिणाम

घटक	संस्थागत आधार	अपेक्षित वास्तविक परिणाम
प्रतिनिधित्व	पंचायत आरक्षण व्यवस्था	महिला पद-धारण और उपस्थिति
निर्णय-स्वायत्तता	पद-अधिकार और नियम	योजनाओं पर वास्तविक हस्तक्षेप
प्रक्रिया-नेतृत्व	बैठक/कार्यवृत्त नियम	बैठक संचालन और निगरानी
संस्थागत संवाद	प्रशासनिक चैनल	शिकायत-निस्तारण, अभिलेख-प्रबंधन
सामाजिक प्रभाव	सभा और समूह	सार्वजनिक बोलना, सामूहिक एजेंडा

आरक्षण का संवैधानिक और विधिक आधार [1], [2] और वास्तविक परिणामों की अपेक्षित दिशा नीति-प्रयोग और समीक्षा साहित्य से ली गई है [3], [4], [11]। यह तालिका बताती है कि सशक्तिकरण का मूल्यांकन तभी ठोस होगा जब प्रतिनिधित्व के बाद के आयामों को अलग-अलग मापा जाए, विशेषकर बेगूसराय जैसे क्षेत्र में जहाँ क्षमता-आधार संकेतकों में असमानता दिखती है [6]।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

तालिका 2: बेगूसराय में महिला शिक्षा का संकेतक और राज्य तुलना

संकेतक	बेगूसराय	बिहार	स्रोत
महिलाएँ जिनकी शिक्षा 10 या अधिक वर्ष	21%	34%	जिला पोषण प्रोफाइल [6]

यह तालिका दर्शाती है कि बेगूसराय में माध्यमिक स्तर के ऊपर की महिला शिक्षा उपलब्धि राज्य औसत से कम है [6]। वास्तविक सशक्तिकरण के आयामों में इसका अर्थ यह है कि नियम-समझ, अभिलेख-प्रक्रिया, और संस्थागत संवाद में अतिरिक्त सहायता और सरल प्रक्रियाओं की जरूरत अधिक हो सकती है [13]।

तालिका 3: लोकसभा 2019, बेगूसराय में लिंगानुसार मतदान-प्रतिशत और मतदान संख्या [8]

सूचक	पुरुष	महिला	तृतीय लिंग	कुल
मतदान करने वाले	603585	613828	3	1226503
मतदान-प्रतिशत (डाक मत को छोड़कर)	57.84	67.10	4.84	62.63

यह तालिका बताती है कि चुनावी सहभागिता के स्तर पर बेगूसराय में महिला मतदान-प्रतिशत पुरुषों से अधिक है [8]। वास्तविक सशक्तिकरण के संदर्भ में यह संकेत देता है कि "भागीदारी की इच्छा" केवल शिक्षा-आधार से तय नहीं होती, पर निर्णय-स्वायत्तता और प्रक्रिया-नेतृत्व जैसे आयामों में शिक्षा-आधार की भूमिका फिर भी महत्वपूर्ण रह सकती है [7], [10]।

तालिका 4: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 (चरण-2), बेगूसराय के विधानसभा क्षेत्रों में 1 बजे तक समय-खंड मतदान-प्रतिशत [9]

विधानसभा क्षेत्र	1 बजे तक मतदान-प्रतिशत
141 चेरिया बरियारपुर	34.54
142 बछवाड़ा	34.49

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

143 तेघड़ा	30.56
144 मटिहानी	36.51
145 साहेबपुर कमाल	43.39
146 बेगूसराय	31.87
147 बखरी	43.50

यह तालिका जिले के भीतर सहभागिता-गति की क्षेत्रीय विविधता का संकेत देती है [9]। वास्तविक सशक्तिकरण के क्षेत्रीय अध्ययन में इस विविधता का अर्थ यह है कि स्थानीय प्रेरणा-तंत्र, संसाधन पहुँच, और संस्थागत सक्रियता भिन्न हो सकती है, और इसी भिन्नता के साथ महिला नेतृत्व के वास्तविक आयामों का वितरण भी अलग हो सकता है [12], [13]।

विश्लेषण

इस अध्ययन में विश्लेषण तीन चरणों में किया गया है। पहले चरण में आरक्षण की संस्थागत संरचना को संवैधानिक और विधिक पाठ के आधार पर स्थापित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व की न्यूनतम व्यवस्था संवैधानिक है और बिहार में यह व्यवस्था अधिक व्यापक रूप से लागू है [1], [2]। दूसरे चरण में बेगूसराय के क्षमता-आधार संकेतकों और सहभागिता संकेतकों का उपयोग करके यह दिखाया गया है कि वास्तविक सशक्तिकरण का मूल्यांकन क्षेत्रीय स्तर पर करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा-आधार और सहभागिता-गति में जिले के भीतर अंतर दिखते हैं [6], [8], [9]। तीसरे चरण में "वास्तविक आयामों" के लिए मापन ढांचा और परीक्षण-योग्य रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसे प्राथमिक आँकड़ों पर लागू किया जा सकता है।

यदि बेगूसराय के प्राथमिक आँकड़े उपलब्ध हों, तो क्षेत्रीय परतों के अनुसार वास्तविक सशक्तिकरण सूचकांक के औसतों की तुलना और सहसंबंध परीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद "द्विआधारी प्रतिगमन" या "सूचकांक प्रतिगमन" के माध्यम से यह जाँचा जा सकता है कि महिला शिक्षा, प्रशिक्षण पहुँच, सभा-नियमितता और प्रशासनिक सहारा वास्तविक सशक्तिकरण के कौन से आयामों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इस अध्ययन में प्राथमिक आँकड़े न होने के कारण केवल ढांचा प्रस्तुत है और किसी अनुमानित गुणांक का दावा नहीं किया गया है [7], [13]।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

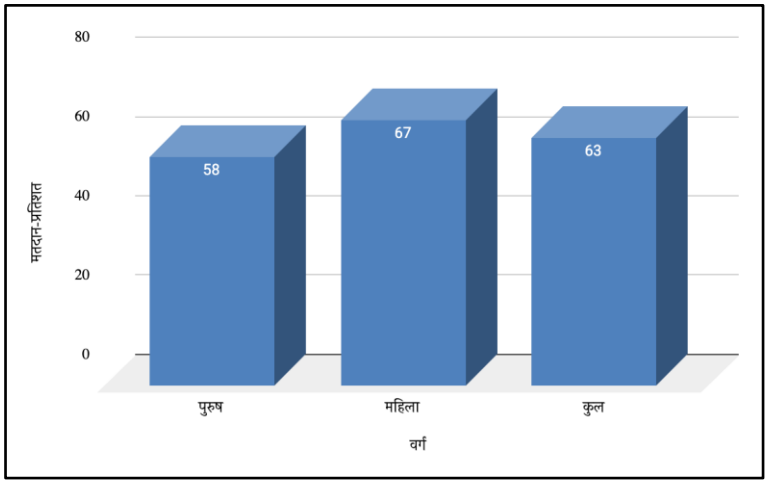

चित्र 1: बेगूसराय में लोकसभा 2019—लिंगानुसार मतदान-प्रतिशत

यह चित्र बताता है कि चुनावी सहभागिता के स्तर पर महिलाएँ सक्रिय हैं [8]। वास्तविक सशक्तिकरण के संदर्भ में इसका निहितार्थ यह है कि "राजनीतिक उपस्थिति" की सामाजिक ऊर्जा मौजूद हो सकती है, पर निर्णय-स्वायत्तता और प्रक्रिया-नेतृत्व जैसे आयामों में संस्थागत और क्षमता-आधार बाधाएँ अलग से कार्य कर सकती हैं [10], [13]।

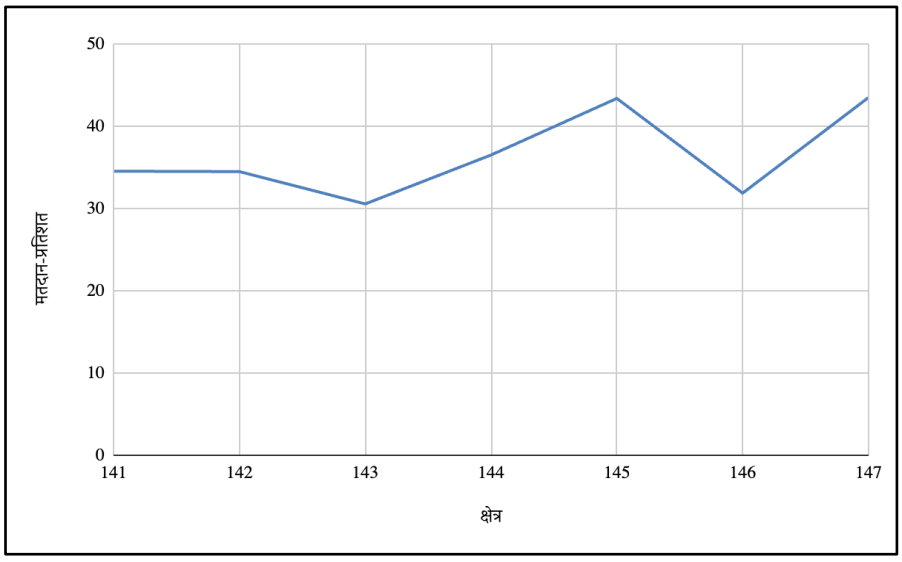

चित्र 2: बेगूसराय में क्षेत्रीय विविधता—विधानसभा क्षेत्रों का 1 बजे तक समय-खंड मतदान-प्रतिशत

यह चित्र यह संकेत देता है कि जिले के भीतर सहभागिता-गति स्थान के अनुसार बदलती है [9]। वास्तविक सशक्तिकरण के क्षेत्रीय अध्ययन में यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभा की अर्थपूर्णता, प्रशासनिक पहुँच और सामाजिक समर्थन भी स्थानानुसार अलग हो सकते हैं, जिससे महिला नेतृत्व की वास्तविक शक्ति का वितरण असमान हो सकता है [12], [13]।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

परिणाम

पहला परिणाम यह है कि आरक्षण के बाद प्रतिनिधित्व का ढांचा मजबूत है। संविधान का भाग 9 पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण और अध्यक्ष पदों में आरक्षण का आधार देता है [1]। बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों के संदर्भ में 50 प्रतिशत तक की व्यवस्था दिखाई देती है, जिससे महिला प्रतिनिधित्व का विस्तार अधिक होता है [2]। यह संस्थागत विस्तार वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्त है, पर पर्याप्त शर्त नहीं है।

दूसरा परिणाम यह है कि बेगूसराय में महिला शिक्षा का माध्यमिक-स्तर आधार कमजोर संकेत देता है। जिला पोषण प्रोफाइल में 10 या अधिक वर्ष शिक्षा वाली महिलाओं का अनुपात 21 प्रतिशत होना यह बताता है कि औपचारिक प्रक्रियाओं में सहजता, नियम-समझ और अभिलेख-प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत संभव है [6], [13]। वास्तविक सशक्तिकरण के आयामों में यह बाधा खासकर संस्थागत संवाद और प्रक्रिया-नेतृत्व में अधिक प्रभावी हो सकती है।

तीसरा परिणाम यह है कि चुनावी सहभागिता में महिलाएँ सक्रिय हैं। लोकसभा 2019 में बेगूसराय में महिला मतदान-प्रतिशत 67.10 और पुरुष मतदान-प्रतिशत 57.84 दर्ज है [8]। यह संकेत देता है कि महिलाएँ मतदान व्यवहार में पीछे नहीं हैं। इसलिए वास्तविक सशक्तिकरण का प्रश्न मतदान से आगे के आयामों में खोजा जाना चाहिए, जैसे सभा में बोलना, पंचायत निर्णयों में हस्तक्षेप, और निगरानी क्षमता [10], [12]।

चौथा परिणाम यह है कि जिले के भीतर क्षेत्रीय विविधता स्पष्ट है। विधानसभा चुनाव 2020 के समय-खंड मतदान-प्रतिशत में 30.56 से 43.50 तक का फैलाव दिखता है [9]। यह केवल मतदान-गति का अंतर नहीं, बल्कि स्थानीय प्रेरणा, पहुँच और सामाजिक संगठन के अलग स्तरों का संकेतक भी हो सकता है। इसी आधार पर “क्षेत्रीय अध्ययन” का मूल्य बढ़ता है, क्योंकि वास्तविक सशक्तिकरण भी संभवतः समान रूप से नहीं फैला होगा।

चर्चा

बेगूसराय के लिए उपलब्ध संकेतक यह दिखाते हैं कि महिला आरक्षण के बाद प्रतिनिधित्व और चुनावी सहभागिता के स्तर पर अनुकूल संकेत मिल सकते हैं, पर वास्तविक सशक्तिकरण का प्रश्न अलग आयामों पर निर्भर करता है। नीति-प्रयोग आधारित शोध यह स्थापित करता है कि महिला नेतृत्व सार्वजनिक निर्णयों में बदलाव ला सकता है, पर यह परिवर्तन तब अधिक टिकाऊ होता है जब महिला प्रतिनिधि निर्णय-प्रक्रिया में स्वतंत्र भूमिका निभा सके और सामाजिक धारणाएँ उसके नेतृत्व को स्वीकार करें [3], [4]।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

बेगूसराय में महिला शिक्षा का संकेतक कम होना यह बताता है कि "प्रक्रिया-नेतृत्व" और "संस्थागत संवाद" में बाधाएँ अधिक हो सकती हैं। यदि बैठक के दस्तावेज़, योजना-चक्र और लेखांकन प्रक्रिया समझ में नहीं आती, तो वास्तविक नियंत्रण अनौपचारिक मध्यस्थों की ओर खिसक सकता है, जिससे प्रतीकात्मक नेतृत्व की स्थिति बनती है [10], [13]। यही कारण है कि वास्तविक सशक्तिकरण के आयामों को मापन योग्य बनाकर, क्षेत्रीय परतों में अलग-अलग देखना आवश्यक है।

जिले के भीतर क्षेत्रीय विविधता का संकेत यह भी देता है कि कुछ क्षेत्रों में सामाजिक संगठन और प्रशासनिक पहुँच अपेक्षाकृत मजबूत हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कमजोर। जहाँ संगठन और सभा-प्रक्रिया मजबूत होगी, वहाँ महिला नेतृत्व का सामाजिक प्रभाव और निर्णय-स्वायत्तता बढ़ने की संभावना अधिक होगी [12], [14]। इसके विपरीत, जहाँ सभा-प्रक्रिया औपचारिक हो और सामाजिक दबाव अधिक हो, वहाँ प्रतिनिधित्व के बावजूद वास्तविक शक्ति सीमित रह सकती है [10]।

इस चर्चा का केन्द्रीय निष्कर्ष यह है कि महिला आरक्षण के बाद राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन "सीट" या "मतदान" से नहीं, बल्कि निर्णय-स्वायत्तता, प्रक्रिया-नेतृत्व, संस्थागत संवाद और सामाजिक प्रभाव जैसे वास्तविक आयामों से होना चाहिए, और यह मूल्यांकन बेगूसराय के भीतर क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखकर ही सार्थक होगा [7], [13]।

निष्कर्ष और नीति-निहितार्थ

यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि महिला आरक्षण ने प्रतिनिधित्व का आधार मजबूत किया है और बेगूसराय में चुनावी सहभागिता के संकेतक महिला सक्रियता की पुष्टि करते हैं। पर वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रश्न "निर्णय-क्षमता" और "प्रक्रिया-नियंत्रण" के आयामों पर निर्भर है। बेगूसराय में महिला शिक्षा का माध्यमिक-स्तर संकेतक राज्य औसत से कम होने के कारण संस्थागत संवाद और प्रक्रिया-नेतृत्व के लिए अतिरिक्त क्षमता-सहारा आवश्यक प्रतीत होता है।

नीति-निहितार्थ के स्तर पर बेगूसराय के लिए चार दिशा स्पष्ट हैं। पहली दिशा यह है कि महिला प्रतिनिधियों के लिए भूमिका-समझ और प्रक्रिया-समझ आधारित क्षमता-विकास को क्षेत्रीय रूप से लक्षित किया जाए, ताकि कम शिक्षा आधार वाले क्षेत्रों में सहायता अधिक हो सके। दूसरी दिशा यह है कि महिला सभा और ग्राम सभा को औपचारिकता से बाहर निकालकर प्रस्ताव-निर्माण, निगरानी और योजना-समावेश की वास्तविक प्रक्रिया बनाया जाए, ताकि सामाजिक प्रभाव और सामूहिक एजेंडा मजबूत हो। तीसरी दिशा यह है कि शिकायत-निवारण और अभिलेख-प्रक्रिया को सरल और सहायक बनाया जाए, जिससे महिला प्रतिनिधि संस्थागत संवाद में निर्भरता से बाहर निकल सके। चौथी दिशा यह है कि क्षेत्रीय विविधता को मानकर प्रखंड-समूह स्तर पर सहारा-तंत्र और निगरानी-तंत्र विकसित किया जाए, क्योंकि जिले के भीतर सहभागिता-गति और सामाजिक संसाधन समान नहीं हैं।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

अंततः, बेगूसराय में महिला आरक्षण के बाद सशक्तिकरण का वास्तविक मानक यह होगा कि महिलाएँ कितनी स्वतंत्रता से सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित कर पाती हैं, कितनी नियमितता से प्रक्रियाएँ संचालित करती हैं, और कितनी दृढ़ता से संस्थागत संवाद के माध्यम से जवाबदेही स्थापित कर पाती हैं। इस अध्ययन ने उपलब्ध प्रामाणिक संकेतकों के आधार पर उस दिशा में एक क्षेत्रीय, क्रियान्वयन-योग्य ढांचा प्रस्तुत किया है।

संदर्भ

1. भारत सरकार, "भारत का संविधान, भाग 9: पंचायतें, अनुच्छेद 243(डी) में सीटों का आरक्षण (महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई सहित)," आधिकारिक पाठ, पीडीएफ पृष्ठ 2–3.
2. बिहार सरकार, "बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006: महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण संबंधी प्रावधान," आधिकारिक अधिनियम पाठ, पृष्ठ 10–12.
3. आर. चट्टोपाध्याय और ई. डुफ्लो, "महिला नेतृत्व और स्थानीय नीति-निर्णय: भारत में आरक्षण आधारित नीति-प्रयोग से साक्ष्य," शोध-पत्र, पृष्ठ 1409–1443.
4. एल. बीमन, ई. डुफ्लो, आर. पांडे और पी. टोपालोवा, "महिला नेतृत्व के संपर्क से आकांक्षाएँ और शिक्षा परिणाम: भारत में नीति-प्रयोग आधारित साक्ष्य," शोध-लेख (विज्ञान), खंड 335, अंक 6068, पृष्ठ 582–586.
5. भारत सरकार, "जिला जनगणना पुस्तिका: बेगूसराय (2011)," आधिकारिक जनगणना प्रकाशन, पृष्ठ 43.
6. नीति आयोग/अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, "जिला पोषण प्रोफाइल: बेगूसराय, बिहार," 2022, पृष्ठ 3.
7. एस. वर्बा, के. एल. श्लोज़मैन और एच. ई. ब्रेडी, "नागरिक कौशल, संसाधन और राजनीतिक सहभागिता का ढांचा," ग्रंथ (आवाज़ और समानता), पृष्ठ 621.
8. भारत निर्वाचन आयोग, "लोकसभा 2019: संसदीय क्षेत्र-वार मतदाता, मतदान करने वाले और लिंगानुसार मतदान-प्रतिशत (बेगूसराय सहित)," आधिकारिक सारणी, पृष्ठ 4.
9. बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, "बिहार विधानसभा चुनाव 2020, चरण-2: 03.11.2020 को 1 बजे तक समय-खंड मतदान-प्रतिशत (बेगूसराय जिले के विधानसभा क्षेत्रों सहित)," आधिकारिक सारणी, पृष्ठ 141–147.
10. गरीबी उन्मूलन प्रयोगशाला, "भारत में महिला आरक्षण और नेतृत्व के प्रति धारणाएँ: मूल्यांकन-सार," आधिकारिक मूल्यांकन-सार, पृष्ठ 1–3.
11. आर. पांडे, "राजनीति में लिंग कोटा और महिला नेतृत्व: साक्ष्यों की समीक्षा," कार्य-पत्र/समीक्षा, पृष्ठ 21–42.

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

12. गरीबी उन्मूलन प्रयोगशाला, "स्थानीय शासन में महिला कोटा: प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक सेवाएँ और सामाजिक धारणाएँ," नीति-सार, पृष्ठ 1–4.
13. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, "महिला सभा/ग्राम सभा सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता-विकास दिशा-निर्देश," आधिकारिक दस्तावेज, पृष्ठ 15–32.
14. बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, "महिला समूह आधारित संस्थागत ढांचा और सशक्तिकरण के लक्ष्य," आधिकारिक कार्यक्रम परिचय.
15. बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, "लोकसभा 2014–2019 में बिहार का तुलनीय मतदान-प्रतिशत (संसदीय क्षेत्र-वार, लिंगानुसार)," आधिकारिक दस्तावेज, पीडीएफ पृष्ठ 1.

© Copyright @ Authors